राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : कुलदीप, तहसीलदार

मिसल संख्या : 75/2018

किस्म मुकदमा : **राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91**

तारीख दर्ज : 06.09.2018 **निर्णय दिनांक : 30.09.2021**

राजस्थान सरकार **बनाम**

1. मोहनलाल पुत्र कुम्भाराम
   जाति मेघवाल नि0 कुचामन सिटी
2. हिम्मताराम पुत्र बचनाराम
   जाति गुर्जर नि0 कुचामन सिटी

:: निर्णय ::

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुचामन सिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण मोहनलाल पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी कुचामन सिटी वगैराह नें कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 523 कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बारानी द्वितीय में से रकबा 0.4880 हैक्टेयर भूमि पर सम्वत 2075 खरीफ में अनाधिकृत रूप से कच्ची मिटी डोल लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूध जारी नोटिस बार–बार अदम तामील प्राप्त हुए। जिस के संबंध में पटवारी हल्का से अप्रार्थीगण का नाम व पूर्ण पता तथा उक्त खसरा की वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट ली गयी। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश कर न्यायालय को अवगत कराया कि अप्रार्थीगण की मृत्यु हो चुकी है, तथा कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 523 रकबा 0.57 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बारानी द्वितीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है, व वर्तमान में उक्त खसरा नगरपालिका मण्डल कुचामन सिटी के नाम दर्ज है। इसलिये इन के विरूद्ध की गयी कार्यवाही बन्द कर दी जावे।

पत्रावाली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने व पटवारी हल्का से पुनः ली गयी रिपोर्ट से साबित होता है कि अप्रार्थीगण के द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा लिया गया है। इसलिये इनके विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत की गयी कार्यवाही बन्द की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप)
तहसीलदार कुचामन सिटी